Indian Institute of Management Lucknow
Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow-226 013 (U.P.) India
भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई आई एम रोड, लखनऊ–226 013 (उ.प्र.) भारत

दिनॉक: 09.11.2022

मेसर्स...

....

....

विषय: आम के बागो के फसल की नीलामी वर्ष 2022–2023 के सम्बन्ध में

महोदय,

भारतीय प्रबन्ध संस्थान , लखनऊ परिसर में स्थित आम के बागों इत्यादि की फसल बेंचने की प्रकिया शुरु की जा रही है इस कम में संस्थान के नियम व शर्ते नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति या फर्म के लिए मान्य होगी।

इस नीलामी में बोली लगाने के लिए इच्छुक व्यक्ति या फर्म उपरोक्त फसल नीलामी हेतु अपनी बोली को लिखकर सील बन्द लिफफे में रखकर दिनांक 28/11/2022 तक भारतीय प्रबन्ध संस्थान के मुख्य द्वार पर रखें टेण्डर बाक्स में डाल दें। सील बन्द लिफाफे के उपर निम्न पता लिखें:

"(बाग की नीलामी का टेंडर के संबंध में)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भारतीय प्रबन्ध संस्थान"

नोट: सील बन्द टेंडर दिनांक 29/11/2022 को सांय 3 बजे समाधान के समिति कक्ष में खोंले जायेगे।

मुख्य तीन शर्ते :

1 नीलामी में भाग लेने वाले का रु 15,000/. (रुपया पन्द्रह हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट जों कि भारतीय प्रबन्ध संस्थान लखनऊ के पक्ष में अग्रिम धनराशि के रुप में टेंडर के साथ संलग्न कर देना होगा, जो कि टेंडर प्रकिया पूरी होने के पश्चात वापस की जायेगी ।

ड्राफ्ट का पूरा विवरण:

बैंक व शाखा का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनॉक	मूल्य

2 संस्थान को 30 कुन्तल (तीस कुन्तल अच्छे आम जैसे चौसा,आम्रपाली, दशहरी) जून माह के तक देना होगा।

3 संस्थान द्वारा फसल की न्यूनतम कीमत 1,25,000/.(एक लाख पच्चीस हजार मात्र) रखी गई है। यदपि पिछले वर्ष 2021.2022 में रू0 1,41,101/. बागों की नीलाम हुई थी

4 यह नीलामी एक वर्ष की आम के फसल हेतु होगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नलिखित हैः

1 आम के पेडं के समीप शीशम शागौन तथा अन्य कीमती पेडों की सुरक्षा करनी होगी।

2 बागों में पानी देने के लिए पाइप आदि का इन्तजाम ठेकेदार को स्वंय अपने व्यय पर करना होगा । संस्थान आपकों केवल पानी मुहैया करायेगा ।

3 टेंडर फार्म में उल्लेखित धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट के साथ में सलंग्न करें।

4 निविदा प्रपत्र खुलने के बाद असफल व्यक्तियों को ई.एम.डी व निर्धारित धनराशि की डी.डी. वापस कर दी जायेगी।

5 बाग में मौजूद किसी भी वृक्ष की लकडी न तो काटी जायेगी और न ही अन्य प्रकार की क्षति पहुचाई जायेगी यदि आंधी अथवा किसी प्राकृति आपदा से किसी वृक्ष की डाल टूटकर गिरती है अथवा किसी प्रकार सकी क्षति होती है तो उसकी सूचना फर्म द्वारा तत्काल श्री बाबूलाल उद्यान अथवा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को लिखित रूप में दी जायेगी। जो उसे उठाने का प्रबन्ध संस्थान की ओर से करेगें उस पर बागों की फसल लेने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

6 बाग परिसर में वृक्षों तथा नये पौधारोपित वृक्षों की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेका लेने वाले व्यक्ति की होगी तथा संस्थान द्वारा गोबर की खाद को वृक्षों के थलहों में डलवायेगा लेकिन उनकों गुडवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।

7 जो भी पेड लगाये गये है उनकी पूरी देख.रेख करनी होगी, कोई वृक्ष देखभाल के बाद भी मृत यासूख जाते है तो उसकी सूचना तत्काल संस्थान के सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित रूप में दी जायेगी, जिससे उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके उसका सही सकारण सुनिश्चित किया जा सकें और यदि ठेका लेने वाले व्यक्ति की लापरवाही से ऐसा हुआ ,तो उसके ऊपर समुचित अर्थदण्ड लगाया जा सके, जिस पर निर्णय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8 फसल की देखरेख की जिम्मेदारी उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों के छिडकाव सहित बागों को लेने वाले व्यवित (ठेकेदार)की होगी। किसी किस्म के नुक्सान के लिए संस्थान जिम्मेदार नही होगा और न कोई क्षतिपूर्ति करेगा एंव प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाली फ़सल की क्षति की पूर्ति संस्थान की जिम्मेदारी नही होगी।

9 नीलामी /टेंडर स्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिनों के अन्दर बाग लेने वाले पक्षों द्वारा रू0 100/. मात्र के जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र एग्रीमेंन्ट करना होगा स्टाम आदि का व्यय नीलाम/टेंडर लेने वाले व्यक्ति को वहन करना होगा। तथा 15 दिन के अन्दर पूरा नीलामी फसल का भुगतान संस्थान को करना होगा।

10 यह फसल नये टाईप 5 मकान तथा मन्दिर के पीछे व उमंग, उत्सव के पीछे स्थित बाग के लिए होगी । संस्थान द्वारा चिन्हित किये गये बागों के अलावा संस्थान के अन्य किसी भी स्थान से कोई भी फलों को तोडने की इजाजत नही होगी।

11 यदि नीलाम/टेंडर में संस्थान द्वारा रखी गई रू0 15,000/. की धनराशि बैंक ड्राप्ट के द्वारा नही पाई जाती है तो उसका फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

12 यदि किसी कारणवश अधिकतम धनराशि देने वाली फर्म या व्यक्ति बागों की फसल लेने का इच्छुक नही होता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि दूसरे अधिकतम् फर्म/व्यवित के पक्ष में नीलामी कर दी जायेगी यदि दूसरी न्यूनतम फर्म /व्यवित भी फसल लेने की इच्छुक नही होगी तो पूरी प्रकिया स्थागित कर दी जायेगी।

13 बागों की रखवाली के लिए जो श्रर्मिक रखें जायेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी।

14 विवाद की स्थिति में निदेशक,आई.आई.एम लखनऊ का निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।

15 संस्थान में नीलामी की जाने वाली आम की फसल दोनों बागों में लगभग 525 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के होंगे।

<u>फसल टेण्डर का प्रारूप – 2022–2023</u>

फर्म/व्यवित का नाम,पूरा पता एवं दूरभाष नम्बर एंव संलग्न डी.डी. का विवरण	बागों की फसल की धनराशि
हस्ताक्षरः	दिनॉकः